



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 9

पटना, बुधवार,

13 फाल्गुन 1947 (श0)

4 मार्च 2026(ई0)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-1-नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	02-05
भाग-1-क-स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख-मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग-शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2-बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	06-07
भाग-3-भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4-बिहार अधिनियम	---
भाग-5-बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7-संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8-भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9-विज्ञापन	---
भाग-9-क-वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख-निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	08-09
पूरक	---
पूरक-क	10-15

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

वित्त विभाग

अधिसूचना

26 फरवरी 2026

सं० 1/स्था०(ले०से०)-14/2021-2140/वि०—श्री अनिकेत कुमार, बि०वि०प्र०से०, (वरीयता क्रमांक-125/2024 गृह जिला-पटना), वरीय कोषागार पदाधिकारी, कैमूर(भभुआ) को डॉ० प्रमोद कुमार, माननीय मंत्री, सहकारिता-सह-पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार के आप्त सचिव(सरकारी) के पद पर नियुक्ति हेतु इनकी सेवा अगले आदेश तक अथवा माननीय मंत्री द्वारा सेवा वापस किये जाने तक के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सौंपी जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अक्षय कुमार, अवर सचिव।

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

24 फरवरी 2026

सं० 15/औ०-14-17/2017-161(15A)/स्वा०—सहायक औषधि नियंत्रक, नालंदा एवं वैशाली तथा औषधि निरीक्षक, जहानाबाद-01 एवं 02, समस्तीपुर-03 एवं 05, वैशाली-02 एवं पटना-12 के पद पर पदस्थापित सहायक औषधि नियंत्रकों/औषधि निरीक्षकों के दिनांक-31.01.2026 को वार्षिक्य सेवानिवृत्ति के उपरान्त रिक्त पदों पर कार्यहित में राज्यान्तर्गत वर्तमान पदस्थापित/कार्यरत निम्नांकित सहायक औषधि नियंत्रकों एवं औषधि निरीक्षकों को अपने कार्यों के अतिरिक्त अगले आदेश तक निम्नवत् अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है:-

क्र०सं०	नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापन स्थल	अतिरिक्त प्रभार
1	श्री ललन कुमार सिन्हा, सहायक औषधि नियंत्रक	लखीसराय	वैशाली
2	श्री नीरज कुमार मानस, सहायक औषधि नियंत्रक	पदस्थापन स्थल-जहानाबाद अतिरिक्त प्रभार-नवादा	नालंदा
3	श्री सुनील कुमार, औषधि निरीक्षक	गयाजी-01	जहानाबाद-01 एवं 02
4	श्रीमती विनीता, औषधि निरीक्षक	समस्तीपुर-02	समस्तीपुर-03 एवं 05
5	श्री अमित कुमार, औषधि निरीक्षक	वैशाली-04	वैशाली-02
6	श्री अमल कुमार, औषधि निरीक्षक	पटना-11	पटना-12

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
हिमांशु शर्मा, विशेष सचिव।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

अधिसूचना

23 फरवरी 2026

सं० 1/स्था० (2) 06/2023 (खंड-3)-986—सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-19300, दिनांक-13.10.2023 से निर्गत अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के क्रम में गठित विभागीय स्क्रिनिंग समिति की दिनांक-27.01.2026 को आयोजित बैठक की अनुशंसा के आलोक में पूर्णतः अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत बिहार मत्स्य सेवा संवर्ग के जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को उप मत्स्य निदेशक में, उसके विहित वेतनमान (वेतन स्तर-11) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार प्रदान किया जाता है:-

क्र०	पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	वर्तमान कोटि
1	2	3
1.	श्री शंभु कुमार राय, जिला मत्स्य पदाधिकारी सम्प्रति अपने ही कोटि वेतनमान में प्रभारी उप मत्स्य निदेशक, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ	जिला मत्स्य पदाधिकारी

2. संबंधित पदाधिकारी पदस्थापन होने तक वर्तमान धारित पदस्थापन पर ही उत्क्रमित पद का प्रभार ग्रहण करेंगे।
3. अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के प्रावधानों के आलोक में उच्चतर पद का प्रभार प्राप्त करने वाले पदाधिकारी के संबंध में भविष्य में अर्हता को प्रभावित करने वाले किसी प्रकार की त्रुटि/विसंगति पाये जाने पर संबंधित कर्मियों को प्रदत्त प्रभार आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा भुगतान की गयी अंतर राशि को भी वसूली कर ली जायेगी।
4. कार्यकारी व्यवस्था के तहत विहित वेतनमान में उच्चतर पद पर उत्क्रमित करते हुये दिया गया कार्यकारी प्रभार माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील सं०-4880/2017 बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य तथा अन्य सम्बद्धवादों में पारित होने वाले आदेश के फलाफल से प्रभावित होगा।
5. उपर्युक्त अनुशंसा सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या-19300, दिनांक-13.10.2023 से निर्गत अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के प्रावधानों के आलोक में की गयी है, जो इस नियमावली में किसी भी परिवर्तन के फलाफल से प्रभावित होगी।
6. उपर्युक्त पदाधिकारी द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेश तक उप मत्स्य निदेशक (विहित वेतनमान-वेतन स्तर-11) में उत्क्रमित किया जाता है।
7. उपर्युक्त पदाधिकारी का पदभार ग्रहण करने की तिथि से उप मत्स्य निदेशक के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
जीतेन्द्र कुमार मिश्रा, अवर सचिव।

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

अधिसूचना

26 फरवरी 2026

सं०-7/भा०ना०सु०सं०-20-01/2024 गृ०आ०-2909—भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 218 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य सरकार यह निदेश देती है कि बिहार पुलिस के सभी वर्ग एवं प्रवर्ग के सदस्यों, जिन्हें लोक व्यवस्था बनाए रखने का कार्य-भार सौंपा गया है, जहां कहीं भी वे सेवा कर रहे हों, के संदर्भ में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 218 की उप-धारा (2) के उपबंध लागू होंगे। इस संदर्भ में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की उप-धारा (2) में आने वाले “केंद्रीय सरकार” पद के स्थान पर “राज्य सरकार” पद माना जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अमलेन्दु कुमार सिंह, संयुक्त सचिव।

The 26th February 2026

No. 7/BNSS-20-01/2024 H (P)-2909—In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of section 218 of Bhartiya Nagrik Suraksha Sanhita, 2023, the State Government hereby directs that the provision of sub-section (2) of Section 218 of Bhartiya Nagrik Suraksha Sanhita, 2023 shall be applicable in context of members of all the classes and categories of Bihar

Police, who are charged with the maintenance of public order, wherever they may be serving. In this context, the expression "Central Government" occurring in sub-section (2) of section 218 of Bhartiya Nagrik Suraksha Sanhita, 2023 shall be construed as "State Government".

By Order of Governor of Bihar,
Amlendu Kumar Singh, Joint Secretary.

Office of The Commissioner, Magadh Division, Gaya

Office Order

The 26th February 2026

No. XI-K-रा०-03/2024—~~36~~—In the light of proposal received from District Magistrate, Jehanabad vide letter No.-80, dated- 13.02.2026 the power of certificate officer has been delegated to following officers for disposal of certificate cases u/s 3(3) of Bihar & Orrisa Public Demand Recovery Act. 1914.

Sl. No.	Officers Name	Designation	Remarks
01	Miss. Srishti Shashwat	Sub-Divisional Welfare officer, Jehanabad (BC & EBC)	District Level

Order of Commissioner, Magadh Division, Gaya Ji dt 24.02.2026

By Order,
Sd./Illegible, Secretary to Commissioner.

The 26th February 2026

No.XI-K-रा०-02/2024—~~39~~—In the light of proposal received from District Magistrate, Gaya Ji vide letter No.-109, dated- 14.02.2026 the power of certificate officer has been delegated to following officers for disposal of certificate cases u/s 3(3) of Bihar & Orrisa Public Demand Recovery Act. 1914.

Sl. No.	Officers Name	Designation	Remarks
01	Sri Shailesh Kumar Das	DDC, Gaya Ji	District Level
02	Smt Anuradha Laxmi	SDC, Gaya Ji	District Level
03	Sri Ajit Kumar	BDO, Bodhgaya	Cilcle Level
04	Miss. Nilima Kumari	BPRO, Nagar	Cilcle Level
05	Sri Arjun	BAO, Nagar	Cilcle Level
06	Sri Mrintunjay Kumar	BAO, Manpur	Cilcle Level
07	Sri Ambuj Kumar Singh	BAO, Sherghati	Cilcle Level
08	Sri Rajnish Kumar	BSO, Sherghati	Cilcle Level
09	Sri Ravi Kumar	BCO, Sherghati	Cilcle Level

10	Smt. Sneha Sinha	CDPO, Sherghati	Cilcle Level
----	------------------	-----------------	--------------

Order of Commissioner, Magadh Division, Gaya Ji dt 24.02.2026

By Order,

Sd./Illegible, Secretary to Commissioner.

The 26th February 2026

No. XI-K-रा0-01/2024-38—In the light of proposal received from District Magistrate, Aurangabad vide letter no.-51, dated- 06.02.2026 the power of certificate officer has been delegated to following officers for disposal of certificate cases u/s 3(3) of Bihar & Orrisa Public Demand Recovery Act. 1914.

Sl. No.	Officers Name	Designation	Remarks
01	Sri Raman Bahadur Singh	ADSO, Aurangabad	District Level
02	Miss. Priyanka Kumari	BPRO, Goh	Cilcle Level
03	Sri Manoj Kumar Saw	BPRO, Haspura	Cilcle Level
04	Sri Manoj Kumar	BPRO, obara	Cilcle Level
05	Miss. Ragini Kumari	BAO, Obara	Cilcle Level
06	Sri Mukesh Kumar	BPRO, Nabinagar	Cilcle Level
07	Sri Ramnath Chaudhary	BAO, Nabinagar	Cilcle Level
08	Sri Priyanshu Basu	BDO, Kutumba	Cilcle Level
09	Sri Deepak Kumar	BDO, Dev	Cilcle Level
10	Sri Awdhesh Kumar	BAO, Dev	Cilcle Level

Order of Commissioner, Magadh Division, Gaya Ji dt 24.02.2026

By Order,

Sd./Illegible, Secretary to Commissioner.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 50—571+10-डी0टी0पी0।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>

भाग-2

बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

संशोधन/शुद्धि-पत्र

23 फरवरी 2026

सं० 1/स्था० (2) 01/2024-985—विभागीय अधिसूचना संख्या-3656-सह-पठित ज्ञापांक-3657, दिनांक-14.08.2025 के द्वारा बिहार पशु चिकित्सा सेवा के 135 पदाधिकारियों को प्रथम एम०ए०सी०पी० प्रदान की गयी। उक्त के आलोक में वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना द्वारा 11 पशु चिकित्सकों को अनुमान्य एम०ए०सी०पी० की देय तिथि में भिन्नता पाये जाने के कारण वस्तुस्थिति की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत कुल 18 पशु चिकित्सकों को प्रदत्त प्रथम एम०ए०सी०पी० की देय तिथि भिन्न पाया गया।

तदालोक में सम्यक् विचारोपरांत विभागीय अधिसूचना संख्या-3656-सह-पठित ज्ञापांक-3657, दिनांक-14.08.2025 के द्वारा बिहार पशु चिकित्सा सेवा के उक्त 18 पशु चिकित्सकों को प्रदत्त स्तम्भ-4 में अंकित प्रथम एम०ए०सी०पी० की देय तिथि को स्तम्भ-5 में अंकित देय तिथि के रूप में संशोधित किया जाता है:-

क्र०सं०	अधिसूचना क्र०सं०	पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	प्रथम एम०ए०सी०पी० की देय तिथि	संशोधित प्रथम एम०ए०सी०पी० की देय तिथि
1	2	3	4	5
1.	16	डॉ० जय प्रकाश, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, शादीपुर, गया	01.01.2025	31.12.2024
2.	27	डॉ० नरेन्द्र तिवारी, कृत्रिम प्रजनन प्रणाली पदाधिकारी, फ़ोजेन सिमेन बैंक, मुजफ़्फ़रपुर	27.12.2024	30.12.2024
3.	41	डॉ० ज्योति कुमार सिन्हा, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, नयागाँव, सोनपुर, सारण	31.12.2024	01.01.2025
4.	45	डॉ० सत्यप्रकाश सिंह, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, पुनपुन, पटना	30.12.2024	31.12.2024
5.	51	डॉ० रमेश कुमार, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, काको, जहानाबाद	30.12.2024	31.12.2024
6.	54	डॉ० मीनू कुमारी, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, पहलेजाघाट, सारण	31.12.2024	01.01.2025
7.	69	डॉ० प्रवीण, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, रामपुर चौरम, अरवल	23.01.2025	24.01.2025
8.	71	डॉ० चन्द्रमणि प्रसाद सिंह, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, सौरबाजार, सहरसा	01.01.2025	02.01.2025

9.	75	डॉ० संतोष कुमार तिवारी, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, अकबरनगर, भागलपुर	30.12.2024	01.01.2025
10.	81	डॉ० जितेन्द्र कुमार भोला, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, खुटौना, मधुबनी	30.12.2024	31.12.2024
11.	82	डॉ० श्रुतिकेश कुमार, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, गुलजारबाग, पटना	30.12.2024	31.12.2024
12.	89	डॉ० प्रवीण रंजन, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, फतेहपुर, गया	30.12.2024	31.12.2024
13.	94	डॉ० गुड्डू कुमार, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, मोहनियाँ, कैमूर	30.12.2024	31.12.2024
14.	112	डॉ० लवकुश कुमार, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, पुरैना, शेखपुरा	30.12.2024	31.12.2024
15.	123	डॉ० प्रभु नारायण यादव, सहायक प्रबंधक, क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, भागलपुर	30.12.2024	31.12.2024
16.	128	डॉ० उज्जवल कुमार, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, गडहिया बाजार, पूर्वी चम्पारण	30.03.2025	21.04.2025
17.	129	डॉ० रजनीश कुमार सिन्हा, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, हसनबाजार, भोजपुर	15.04.2025	18.04.2025
18.	135	डॉ० निरंजन कुमार प्रसाद, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, शेरघाटी, गया	30.03.2025	20.04.2025

2. उक्त अधिसूचना की शेष बातें यथावत् रहेगी।

आदेश से,
जीतेन्द्र कुमार मिश्रा, अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 50—571+10-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।

सूचना

No. 228—I RAGINI KUMARI, W/o Ajay Kumar Mishra R/o A-31 Nandanhomes apartment Behind S.B.I. learning center Khajpura, Rukanpura B. V. College Patna, Bihar-800014 hereby affirm and declare as follows as Affidavit No. 25, Date: 23.12.2025 That ADITI is my daughter's. That in ADITI 10th all educational certificate my name mistakenly mentioned as RAGINI MISHRA. That in my aadhar card my name mentioned as RAGINI KUMARI. That I shall be known as RAGINI KUMARI for all purposes.

RAGINI KUMARI.

सं० 229—मैं, शोभा कुमारी (Shobha Kumari) पति - बलवंत कुमार, पता-मुहल्ला-अबगिला, थाना-मुफस्सिल, जिला-गया, शपथपूर्वक घोषणा करती हूँ कि मेरे पुत्र आयुष कुमार के जन्म प्रमाण-पत्र एवं शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों में मेरा नाम शोभा देवी अंकित हो गया है। जबकि मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम शोभा कुमारी है, जो सही एवं सत्य है, ये दोनों नाम एक ही महिला से संबंधित हैं, जो कि मैं स्वयं हूँ। अब मैं भविष्य में सभी कार्यों हेतु **शोभा कुमारी (Shobha Kumari)** के नाम से ही जानी एवं पहचानी जाऊंगी। **शपथ-पत्र संख्या-55334 दिनांक-28/11/2025.**

शोभा कुमारी (Shobha Kumari).

No. 230—I, RIYA, D/o.- Sanjay Kumar Shahi, R/o - Tara Kutir, Near Tara Hospital, Bank Road, Patna G.P.O, P.O - Patna G.P.O. Distt. - Patna, Bihar - 800001. Do hereby solemnly affirm and declare that in my Aadhar and PAN as well as in my educational documents my name is mentioned as RIYA. I want to add the title 'SHAHI' to my name. Hence, in this way my new name became RIYA SHAHI. Here, both the names belong to the names of the same person i.e. me. And, from now in my future I will be known as **RIYA SHAHI** for all my legal purposes. **Affidavit no. - 90 Date: - 07/01/2026.**

RIYA.

No. 231—I, RAKSHA, D/o-Sanjay Kumar Shahi, R/o-Tara Kutir, Near Tara Hospital, Bank Road, Patna G.P.O, P.O - Patna G.P.O. Distt.-Patna, Bihar-800001. Do hereby solemnly affirm and declare that in my Aadhar and PAN as well as in my educational documents my name is mentioned as RAKSHA. I want to add the title 'SHAHI' to my name. Hence, in this way my new name became RAKSHA SHAHI. Here, both the names belong to the names of the same person i.e. me. And, from now in my future I will be known as **RAKSHA SHAHI** for all my legal purposes. **Affidavit no. - 89 Date: - 07/01/2026.**

RAKSHA.

No. 232—I, TANYA, D/o.-Madan Lal, R/o-Flat no.-402 B, Sheela Place, Shyama Shah Lane, Patliputra colony, Patna, Bihar - 800013. Do hereby solemnly affirm and declare that in my Aadhar Card as well as in my educational documents my name is mentioned as TANYA. I want to add the title 'LAL' to my name. Hence, in this way my new name became TANYA LAL. Here, both the names belong to the names of the same person i.e. me. And, from now in my future I will be known as **TANYA LAL** for all my legal purposes. **Affidavit no.-75 Date:- 02/01/2026.**

TANYA.

No. 233—I, Anubha Priyadarshini, W/o-Dinesh Kishore Verma, R/o-Mohalla-Prakashpuri, Shital Tola near Indu Mahila College, P.S-Ara Town, District-Bhojpur, Ara, Bihar - 802301. Do hereby solemnly affirm and declare that NAVRATRI PRIYADARSHINI is my daughter. And, in my daughter's educational documents of class 12th (CBSE), my name is mentioned as ANUBHA PRIYADARSHNI. But, in my Aadhar card my name is mentioned as ANUBHA PRIYADARSHINI. Here, both the names belong to the names of the same person i.e. me. And, from now in my future I will be known as **ANUBHA PRIYADARSHINI** for all legal purposes. **Affidavit no.-74 Date:-02/01/2026.**

Anubha Priyadarshini.

No. 234—I, Navratri Priyadarshini, D/o - Dinesh Kishore Verma, R/o - Mohalla-Prakashpuri, Shital Tola near Indu Mahila College, P.S - Ara Town, District - Bhojpur, Ara, Bihar - 802301. Do hereby solemnly affirm and declare that in my Aadhar card my name is mentioned as NAVRATRI PRIYADARSHINI. But, in my educational documents of class 12th (CBSE) my name is mentioned as NAVRATRI PRIYADARSHNI. Here, both the names belong to the names of the same person i.e. me. And, from now in my future I will be known as **NAVRATRI PRIYADARSHINI** for all legal purposes. **Affidavit no. – 77 Date: - 02/01/2026.**

Navratri Priyadarshini.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 50—571+10-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

संख 15/आरोप(सुपौल)-02-45/2025-225(15)/रा0
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

संकल्प

24 फरवरी 2026

श्री प्रिंस राज, तत्कालीन अंचल अधिकारी, सुपौल सदर, सुपौल के विरुद्ध अपर पुलिस महानिदेशक, विशेष निगरानी ईकाई, बिहार, पटना के पत्रांक-676 दिनांक-30.05.2025 द्वारा दर्ज विशेष निगरानी ईकाई, थाना कांड सं०-04/2025 दिनांक-15.04.2025 धारा-13(2) r/w 13(1) (b) r/w 12 P.C. Act 1988 यथा संशोधित, 2018 एवं 61(2)(a) BNS, 2023 के अनुसंधान के क्रम में पाये गये आरोप के आधार पर विभागीय कार्यवाही हेतु आरोप पत्र विभाग को उपलब्ध कराया गया जिसमें दो अलग-अलग नाम एवं जन्मतिथि से मैट्रिक परीक्षा पास कर जालसाजी एवं कूटरचित प्रमाण-पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी प्राप्त करने जैसे आरोप प्रतिवेदित है।

2. यह कि उक्त आरोप पत्र को विभाग स्तर से पुनर्गठित करते हुए गठित आरोपों के संबंध में विभागीय पत्रांक-1218(15)/रा0, दिनांक-14.07.2025 द्वारा श्री राज से स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री राज द्वारा अपना स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित किया गया।

3. यह कि सक्षम प्राधिकार द्वारा आरोपों की गंभीरता के मद्देनजर श्री प्रिंस राज को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए विभागीय संकल्प सं०-1810(15)/रा0, दिनांक-06.10.2025 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए निलंबन अवधि के लिए मुख्यालय-आयुक्त कार्यालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा निर्धारित किया गया।

4. यह कि बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा दिनांक-20.12.2017 को 60-62वीं सम्मिलित संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा हेतु प्रकाशित विज्ञापन की कंडिका-3(ii) में यह अंकित है कि मूल प्रमाण पत्रों में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

5. यह कि श्री प्रिंस राज द्वारा विभाग को समर्पित स्पष्टीकरण में अंकित किया गया कि श्री धर्मेन्द्र कुमार उनके सगे भाई थे जिनका निधन हो चुका है और वे दोनों अलग-अलग पृथक कानूनी पहचान वाले व्यक्ति हैं, के आलोक में विभागीय पत्रांक-1937(15)/रा0 दिनांक-17.11.2025 द्वारा श्री धर्मेन्द्र कुमार की मृत्यु कब, कहाँ और कैसे हुई से संबंधित मृत्यु प्रमाण पत्र (मुखिया द्वारा निर्गत नहीं) उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया, जो अप्राप्त रहा।

6. यह कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, बिहार, पटना के ज्ञापांक- 375/25 के०-1256 दिनांक-01.08.2025 द्वारा उक्त मामले में श्री राज की पहली माध्यमिक परीक्षा वर्ष-2004 को मान्यता देते हुए दूसरी माध्यमिक परीक्षा वर्ष-2006 (श्री प्रिंस राज, पिता-रघुनन्दन साह, रौल कोड-6206, क्रमांक-402 जन्म तिथि-15.02.1992) जो STSY High School, Manmohan से दी गयी थी, से संबंधित निर्गत अंक पत्र एवं प्रमाण-पत्र रद्द किये जाने की सूचना विभाग को प्राप्त हुई।

7. यह कि उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक-91(15)/रा0 दिनांक- 21.01.2026 जो अध्यक्ष बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना को संबोधित है द्वारा श्री प्रिंस राज का बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा वार्षिक माध्यमिक परीक्षा वर्ष-2006 का अंक पत्र एवं प्रमाण-पत्र रद्द होने की स्थिति में चयनमुक्त करने के बिन्दु पर मंतव्य की मांग की गयी।

8. यह कि उक्त के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना के पत्रांक-4381/लो०से०आ० दिनांक-02.02.2026 द्वारा "श्री राज के विरुद्ध निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करते हुए चयनमुक्त करने के बिन्दु पर विभाग स्वतंत्र है" का मंतव्य विभाग को प्राप्त हुआ।

9. यह कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 60वीं से 62वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में श्री प्रिंस राज द्वारा माध्यमिक परीक्षा वर्ष-2006 का अंक पत्र (क्रम सं०-0255316) एवं प्रमाण-पत्र (क्रम सं०-06AC 0130696) दिया गया एवं सेवा में प्रवेश हेतु उम्र संबंधी अर्हता हेतु इसका उपयोग किया गया।

10. यह कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार की अधिसूचना सं०-312(3)/रा०, दिनांक-29.08.2019 द्वारा श्री प्रिंस राज को परीक्ष्यमान राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड के पद पर औपबधिक रूप से पे-मैट्रिक्स लेवल-7 (₹44,900-1,42,400) में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ नियुक्त किया गया। साथ ही, राजस्व अधिकारी, चनपटिया, पश्चिम चम्पारण के पद पर पदस्थापित किया गया, जिसकी कंडिका-2(ii) में उल्लेखित है कि-"अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण-पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों के संबंध अलग सूचना पाये जाने एवं पूर्व वृत्त सत्यापन प्रतिवेदन में प्रतिकूल तथ्य प्रतिवेदित होने की स्थिति में संबंधित नव नियुक्त पदाधिकारियों की सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी एवं संबंधित के विरुद्ध आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई भी की जायेगी।"

(i) विभागीय पत्रांक-428(3)/रा० दिनांक-11.12.2019 के अनुसार श्री प्रिंस राज के द्वारा प्रवेशकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम में दिनांक-20.09.2019 से 01.10.2019 तक प्रशिक्षण में भाग लिया गया।

(ii) विभागीय अधिसूचना सं०-202(3)/रा०, दिनांक-24.07.2020 द्वारा श्री प्रिंस राज, राजस्व अधिकारी, चनपटिया, पश्चिम चम्पारण के पद से स्थानान्तरित करते हुए प्रभारी अंचल अधिकारी, सुपौल सदर के पद पर पदस्थापित किया गया।

(iii) राजस्व पर्वद, बिहार केन्द्रीय परीक्षा समिति के विभागीय परीक्षा प्रमाण पत्र क्रम सं०-65202725580507948 दिनांक-13.03.2023 द्वारा श्री प्रिंस राज विभागीय परीक्षा के सभी विषयों में दिनांक-28.02.2023 से उत्तीर्ण है।

(iv) विभागीय आदेश ज्ञापांक-578(3)/रा०, दिनांक-19.10.2023 द्वारा श्री प्रिंस राज प्रभारी अंचल अधिकारी, सुपौल सदर को दिनांक-28.02.2023 की तिथि से सेवा सम्पुष्ट किया गया।

(v) विभागीय अधिसूचना सं०-603(3)/रा०, दिनांक-31.10.2023 द्वारा श्री प्रिंस राज, प्रभारी अंचल अधिकारी, सुपौल सदर को वेतनमान (वेतन स्तर-9) में उत्क्रमित किया गया।

11. यह कि विभागीय अधिसूचना सं०-312(3)/रा०, दिनांक-29.08.2019 की कंडिका-2(ii), बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना के ज्ञापांक-375/25 के० 1256 दिनांक-01.08.2025 एवं बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त परामर्श के आधार पर विभाग का मत हुआ कि श्री प्रिंस राज, तत्कालीन अंचल अधिकारी, सुपौल सदर, सुपौल निलंबन मुख्यालय-आयुक्त कार्यालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा सेवा में बने रहने का अपना अधिकार खो चुके हैं।

12. यह कि श्री प्रिंस राज, तत्कालीन अंचल अधिकारी, सुपौल सदर, सुपौल निलंबन मुख्यालय- आयुक्त कार्यालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा के विरुद्ध प्रस्तावित दण्ड "सेवा मुक्त/सेवाच्युत" संबंधी संलेख विभागीय ज्ञापांक-134(15)/रा० दिनांक-11.02.2026 द्वारा मंत्रीपरिषद् की स्वीकृत हेतु भेजा गया। मंत्रीपरिषद् की दिनांक-20.02.2026 को सम्पन्न बैठक के मद सं०-09 के रूप में सम्मिलित करते हुए उक्त संलेख में निहित प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी है।

13. यह कि उक्त स्वीकृति के आलोक में श्री प्रिंस राज, तत्कालीन अंचल अधिकारी, सुपौल सदर, सुपौल को उनके द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के 60-62वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में दिये गये जाली एवं कूटरचित शैक्षणिक प्रमाण-पत्र को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के ज्ञापांक-375/25 के०-1256 दिनांक-01.08.2025 के द्वारा रद्द होने के कारण विज्ञापन में निहित शर्तों के अधीन मंत्रीपरिषद् के निर्णय के आलोक में "सेवा मुक्त/सेवाच्युत" किया जाता है।

श्री प्रिंस राज से संबंधित ब्यौरे निम्नवत् है:-

1. नाम :- श्री प्रिंस राज
2. पदनाम :- तत्कालीन अंचल अधिकारी, सुपौल सदर, सुपौल सम्प्रति निलंबित,
मुख्यालय-आयुक्त कार्यालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा
3. जन्म तिथि :- 15.02.1992
4. सेवानिवृत्ति की तिथि :- 29.02.2052
5. स्थाई पता :- ग्राम-झिक्की, पोस्ट-हिसार, जिला-मधुबनी, पिन-847230,
राज्य-बिहार।

आदेश :-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाए।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार सिंह, उप सचिव।

सं0 कारा/नि0को0(प्रोबेशन)-12-06/2023-1345

**कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)**

संकल्प

23 फरवरी 2026

श्री राजीव कुमार, तत्कालीन बंदी कल्याण पदाधिकारी, कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, बिहार, पटना सम्प्रति प्रोबेशन पदाधिकारी, जिला प्रोबेशन कार्यालय, कटिहार के विरुद्ध कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, बिहार, पटना में बंदी कल्याण पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन के दौरान अपराध पीड़ित कल्याण न्यास के बचत खाता संख्या-32636163692 का अवैध तरीके से संचालन करने, नियमों की अनदेखी कर स्वयं के स्तर से हस्ताक्षरित पत्र निर्गत कराकर बैंक से गलत तरीके से अपराध पीड़ित कल्याण न्यास के कुल राशि रु0 16,09,75,564/- (सोलह करोड़ नौ लाख पचहत्तर हजार पाँच सौ चौसठ) रुपये को MOD Accounts से बचत खाता में स्थानान्तरित करने, करीब 11 माह के पश्चात् एकमुश्त राशि रु0 22,22,20,000/- (बाईस करोड़, बाईस लाख, बीस हजार) रुपये को बचत खाता से पुनः MOD Accounts में स्थानान्तरित करने, वरीय पदाधिकारी से बिना अनुमोदन प्राप्त किये स्वेच्छा एवं अवैध तरीके से नियम विरुद्ध किये गये कार्य के कारण अपराध पीड़ित कल्याण न्यास से संबंधित खाता के संचालन में गंभीर वित्तीय अनियमितता, लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता बरतने के आरोप के लिए श्री कुमार के विरुद्ध प्रपत्र 'क' में आरोप पत्र गठित किया गया, जिस पर अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरान्त बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17(4) के तहत विभागीय ज्ञापांक-10687 दिनांक-11.12.2023 द्वारा श्री राजीव कुमार को प्रपत्र 'क' में गठित आरोप पत्र की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए उनसे पन्द्रह (15) दिनों के अन्दर लिखित बचाव अभिकथन की मांग की गई।

2. तद्दालोक में श्री राजीव कुमार द्वारा अपना लिखित बचाव अभिकथन दिनांक-16.01.2024 समर्पित किया गया है, जिसे अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त अस्वीकृत करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक-1551 दिनांक-20.02.2024 द्वारा उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई, जिसके संचालन हेतु आयुक्त पटना प्रमण्डल, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा बंदी कल्याण पदाधिकारी, कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

3. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-13655/सा0प्र0, दिनांक-15.12.2011 की कड़िका-2 (1) (ग) में निहित प्रावधान के तहत आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमण्डल, पटना के आदेश ज्ञापांक-163/स्था0, दिनांक-29.02.2024 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही में जाँच का कार्य संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, पटना प्रमण्डल, पटना को हस्तांतरित किया गया।

4. विभागीय कार्यवाही के जाँचोपरान्त संचालन पदाधिकारी-सह-संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, पटना प्रमण्डल, पटना के पत्रांक-388/स्था0, दिनांक-09.05.2025 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जिसमें श्री राजीव कुमार, तत्कालीन बंदी कल्याण पदाधिकारी, कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, बिहार, पटना सम्प्रति प्रोबेशन पदाधिकारी, जिला प्रोबेशन कार्यालय, कटिहार के विरुद्ध प्रपत्र 'क' में गठित सभी तीन आरोपों को अंशतः प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है।

5. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-18 (3) के प्रावधान के तहत विभागीय ज्ञापांक-5054 दिनांक-10.07.2025 द्वारा आरोपित पदाधिकारी श्री राजीव कुमार, तत्कालीन बंदी कल्याण पदाधिकारी, कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, बिहार, पटना सम्प्रति प्रोबेशन पदाधिकारी, जिला प्रोबेशन कार्यालय, कटिहार को जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए उनसे पन्द्रह (15) दिनों के अन्दर द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब/लिखित अभ्यावेदन की मांग की गयी थी।

6. तद्दालोक में श्री राजीव कुमार, तत्कालीन बंदी कल्याण पदाधिकारी, कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, बिहार, पटना सम्प्रति प्रोबेशन पदाधिकारी, जिला प्रोबेशन कार्यालय, कटिहार द्वारा पत्रांक-387 दिनांक-28.07.2025 के माध्यम से द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब/लिखित अभ्यावेदन समर्पित किया गया है, जिसमें श्री कुमार का कहना है कि बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17 (3) के अनुसार प्रत्येक आरोप को "निश्चित एवं विशिष्ट आरोप-पत्र" के रूप में तैयार किया जाना आवश्यक है। हालाँकि, उन्हें तामिला किए गए आरोप-पत्र में विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत लगाए गए आरोपों का दोहराव है, जिससे यह अस्पष्ट और संदिग्ध हो जाता है। आरोप तीन शीर्षकों के अंतर्गत तैयार किया गया है, लेकिन स्पष्टतः आरोप संख्या 3, आरोप संख्या 01 और 02 का ही दोहराव मात्र है। यह इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि संचालन पदाधिकारी द्वारा उक्त दोहराया गया आरोप संख्या-03 के अंतर्गत कोई निष्कर्ष दर्ज करना भी आवश्यक नहीं समझा गया।

श्री कुमार का कहना है कि प्रथम आरोप के संबंध में संचालन पदाधिकारी द्वारा स्पष्ट रूप से माना गया है कि उनके पूर्ववर्ती द्वारा खोला गया Auto Sweep MOD खाता, वित्त विभाग के नियमों और निर्देशों के विरुद्ध था। इसे बचत खाते में परिवर्तित करने हेतु उनके द्वारा की गई कार्रवाई विभागीय निर्देशों के अनुरूप पाई गई है। वित्तीय हानि के दूसरे आरोप के संबंध में, संचालन पदाधिकारी द्वारा स्पष्ट रूप से नोट किया गया है कि बैंकिंग लोकपाल कार्यवाही

संख्या—N202425023529662 के अंतर्गत बैंक द्वारा `57,53,365/- की राशि पहले ही ट्रस्ट खाते में वापस जमा कर दी गई है। अतः कोई वित्तीय हानि शेष नहीं है।

श्री कुमार का कहना है कि संचालन पदाधिकारी द्वारा बिहार अपराध पीड़ित कल्याण नियमावली, 2013 के नियम-04 की गलत व्याख्या के आधार पर और खाते के प्रारंभ से जारी प्रशासनिक प्रथा पर उचित विचार किए बिना गलत निष्कर्ष दर्ज किया गया है। उनका कहना है कि इस निष्कर्ष की सत्यता तथा जाँच रिपोर्ट में निकाले गए निष्कर्ष उनके विरुद्ध कोई बुरी मंशा, दुर्भावना और कोई अन्य गंभीर आरोप स्थापित नहीं करता है।

श्री कुमार का कहना है कि अपराध पीड़ित कल्याण न्यास खाते को Auto Sweep MOD खाते से बचत खाते में परिवर्तित करने और बाद में बचत खाते से Auto Sweep MOD खाते में पुनः स्थापित करने से संबंधित पत्रों पर प्रशासनिक अध्यक्ष (अर्थात्, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव) द्वारा औपचारिक रूप से दोहरे हस्ताक्षर नहीं किए गए थे, फिर भी उनके द्वारा हर चरण पर घटनाक्रम से अवगत कराया जाता रहा। उनके द्वारा की गई कार्रवाई एकतरफा या मनमानी नहीं थी, बल्कि प्रचलित नियमों और परिपत्रों के अनुसार तथा वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों के अनुपालन में उनकी मौखिक स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही की गई थी। उक्त तथ्य के समर्थन में, उनके द्वारा विशेष रूप से ऐसे अनुमोदनों को प्रमाणित करने वाले प्रासंगिक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था, लेकिन प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा केवल एक दस्तावेज प्रदान किया गया (अपराध पीड़ित कल्याण न्यास समिति की दिनांक-17.06.2020, 07.10.2022 और 22.05.2023 की बैठक का कार्यवृत्त)। अपराध पीड़ित कल्याण न्यास समिति की दिनांक-17.06.2020 की बैठक के कार्यवृत्त, जिसमें यह स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया है कि अपर मुख्य सचिव एवं अन्य सभी समिति सदस्यों को बचत बैंक खाते के रूप में बनाए जा रहे खाते, निधियों की स्थिति और उसमें शेष राशि से विधिवत् अवगत कराया गया था।

श्री कुमार का कहना है कि उनके द्वारा विस्तृत पूरक बचाव कथन प्रस्तुत करने के लिए शेष प्रासंगिक दस्तावेजों की प्राप्ति की प्रतीक्षा की जा रही थी तथा संचालन पदाधिकारी द्वारा ऐसी प्राप्ति और अवसर से पहले ही जाँच पूरी कर ली गई थी, इसलिए यह महत्वपूर्ण तथ्य उनके समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सका। यह गलत धारणा है कि दोनों ही अवसरों पर अपर मुख्य सचिव की मंजूरी नहीं ली गई थी। श्री कुमार का कहना है कि यह उत्तर केवल प्रारंभिक प्रकृति का है, और मांगे गये दस्तावेज उपलब्ध न होने के कारण विरोध स्वरूप प्रस्तुत किया गया है। तद्आलोक में श्री कुमार द्वारा उन्हें सभी आरोपों से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

7. आरोपित पदाधिकारी श्री राजीव कुमार, तत्कालीन बंदी कल्याण पदाधिकारी, कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, बिहार, पटना सम्प्रति प्रोबेशन पदाधिकारी, जिला प्रोबेशन कार्यालय, कटिहार द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब/लिखित अभ्यावेदन की समीक्षा की गई। श्री राजीव कुमार का अपने द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब/लिखित अभ्यावेदन में कहना है कि उनके विरुद्ध संस्थित विभागीय कार्यवाही में उनके द्वारा प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी से दस्तावेज उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था, जो उनके बचाव के लिए आवश्यक थे, परन्तु प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत करने से इन्कार किया गया तथा संचालन पदाधिकारी द्वारा दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी को कोई निर्देश भी जारी नहीं किया गया। आरोपित पदाधिकारी श्री कुमार का यह कथन स्वीकार योग्य नहीं है। बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17 (4) के प्रावधान के तहत आरोप के मद्दों का लिखित अभिकथन (आरोप पत्र) एवं आरोप के मद्दों को प्रमाणित/सिद्ध करने के लिए पर्याप्त सभी साक्ष्य/अभिलेख आरोपित पदाधिकारी को पूर्व में ही विभागीय पत्रांक-10687 दिनांक-11.12.2023 द्वारा उपलब्ध कराते हुए उनसे लिखित अभिकथन की मांग की गई थी। आरोपित पदाधिकारी द्वारा अप्रासंगिक कागजातों की मांग की गई थी, जिसे संचालन पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत किया गया है।

आरोपित पदाधिकारी श्री कुमार का अपने द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब/लिखित अभ्यावेदन में कहना है कि संचालन पदाधिकारी द्वारा स्पष्ट रूप से माना गया है कि उनके (आरोपित पदाधिकारी के) पूर्ववर्ती द्वारा खोला गया Auto Sweep MOD खाता, वित्त विभाग के नियमों और निर्देशों के विरुद्ध था। उनका कहना है कि इसे बचत खाते में परिवर्तित करने हेतु उनके द्वारा की गई कार्रवाई विभागीय निर्देशों के अनुरूप है, जबकि आरोपित पदाधिकारी के विरुद्ध आरोप यह है कि उन्होंने बिना सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन के Sweep MOD से सृजित सभी FD खाता बंद कर राशि को बचत खाता में स्थानान्तरित कराया गया, जो नियम विरुद्ध है। यही नहीं आरोपित पदाधिकारी द्वारा नियमों की अनदेखी कर स्वयं के स्तर से हस्ताक्षरित पत्र निर्गत कराकर बैंक को उपलब्ध कराया गया तथा गलत तरीके से अपराध पीड़ित कल्याण न्यास के कुल राशि रु0 16,09,75,564 (सोलह करोड़, नौ लाख, पचहत्तर हजार, पाँच सौ चौसठ) रुपये को MOD Accounts से बचत खाता में स्थानान्तरित कराया गया, जबकि बिहार अपराध पीड़ित कल्याण न्यास नियमावली, 2013 के अनुसार न्यास के खाता का किसी प्रकार के संचालन हेतु व्यवस्थापक अध्यक्ष (प्रधान सचिव/सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना) एवं न्यासी कोषपाल (बंदी कल्याण पदाधिकारी) का संयुक्त हस्ताक्षर अनिवार्य है। आरोपित पदाधिकारी द्वारा जिस पत्र के माध्यम से 53 MOD को समाप्त कराया गया, उस पत्र पर व्यवस्थापक अध्यक्ष (प्रधान सचिव/सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना) का हस्ताक्षर प्राप्त नहीं किया गया तथा उनके द्वारा स्वयं के स्तर से पत्र हस्ताक्षरित कर बैंक को प्रेषित किया गया, जो आरोपित पदाधिकारी की कर्तव्य के प्रति गंभीर लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता तथा वित्तीय अनियमितता का द्योतक है।

आरोपित पदाधिकारी श्री कुमार का वित्तीय हानि के दूसरे आरोप के संबंध में अपने द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब/लिखित अभ्यावेदन में कहना है कि संचालन पदाधिकारी द्वारा स्पष्ट रूप से नोट किया गया है कि बैंकिंग लोकपाल

कार्यवाही संख्या—N202425023529662 के अंतर्गत बैंक द्वारा रु0 57,53,365/- की राशि पहले ही ट्रस्ट खाते में वापस जमा कर दी गई है। अतः कोई वित्तीय हानि शेष नहीं है।

जबकि संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में वर्णित है कि विभागीय कार्यवाही के सुनवाई के क्रम में उपस्थापन पदाधिकारी—सह—वर्तमान बंदी कल्याण पदाधिकारी द्वारा उल्लेख किया गया है कि विभागीय पत्रांक—9215 दिनांक—18.11.2024 द्वारा बैंकिंग लोकपाल, रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, गाँधी मैदान, पटना से अपराध पीड़ित कल्याण न्यास के खाता संचालन संबंधी शासनादेश का उल्लंघन करने के कारण हुई हानि की वसूली करने एवं राशि वापस करने का अनुरोध किया गया। इस संदर्भ में बैंकिंग लोकपाल संख्या—N202425023529662 दर्ज की गई। उक्त शिकायत पर बैंक के आंतरिक कार्यवाई के फलस्वरूप सहायक महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, सिंचाई भवन, पुराना सचिवालय, पटना के पत्रांक—AGM/BR/15/ 1101 दिनांक—10.01.2025 द्वारा सूचित किया गया कि सक्षम पदाधिकारी द्वारा वांछित सूद की राशि के आलोक में रु0 57,53,365/- अनुमोदित कर दिया गया है, जिसके अनुरूप राशि रु0 57,53,365/- रुपये विभाग की मूल न्यासी खाता संख्या—32636163692 में क्रेडिट कर दिया गया, इससे स्पष्ट है कि सर्वप्रथम श्री राजीव कुमार, तत्कालीन बंदी कल्याण पदाधिकारी द्वारा शासनादेश की अनदेखी करते हुए स्वयं के हस्ताक्षर से MOD Account समाप्त किया गया एवं ग्यारह (11) माह के बाद बचत खाता से पुनः MOD Account में स्थानांतरित किया गया, जिसके कारण अपराध पीड़ित कल्याण न्यास को रु0 53,00,707/- रुपये की हानि हुई। विभागीय सतर्कता/प्रयास से श्री कुमार एवं बैंक के कारण हुई हानि ब्याज सहित रु0 57,53,365/- रुपये की वसूली बैंक से की गई। इससे स्पष्ट है कि श्री राजीव कुमार, तत्कालीन बंदी कल्याण पदाधिकारी के उक्त कृत्य के लिए उनके ऊपर लगे आरोप की पुष्टि होती है।

श्री कुमार का अपने द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब/लिखित अभ्यावेदन में कहना है कि अपराध पीड़ित कल्याण न्यास खाते को Auto Sweep MOD खाते से बचत खाते में परिवर्तित करने और बाद में बचत खाते से Auto Sweep MOD खाते में पुनः स्थापित करने से संबंधित पत्रों पर प्रशासनिक अध्यक्ष (अर्थात्, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव) द्वारा औपचारिक रूप से दोहरे हस्ताक्षर नहीं किए गए थे, फिर भी उनके द्वारा हर चरण पर घटनाक्रम से अवगत कराया जाता रहा। श्री कुमार का कहना है कि अपर मुख्य सचिव एवं अन्य सभी समिति सदस्यों को बचत बैंक खाते में निधियों की स्थिति और उसमें शेष राशि से विधिवत् अवगत कराया गया था।

जबकि बिहार अपराध पीड़ित कल्याण न्यास नियमावली, 2013 की कंडिका—04 में स्पष्ट प्रावधान है कि “राज्य के विभिन्न काराओं में संसीमित सजावार बंदियों के पारिश्रमिक में से अपराध से पीड़ितों के लाभार्थ की गयी कटौती की राशि न्यास की सम्पत्ति होगी। ऐसी राशि राष्ट्रीयकृत बैंक के बचत खाता, जो प्रधान सचिव/सचिव—सह—व्यवस्थापक न्यास एवं बंदी कल्याण पदाधिकारी—सह—न्यास कोषाध्यक्ष के संयुक्त पदनाम से होगी, में जमा की जायेगी। जमा राशि की निकासी, व्यवस्थापक अध्यक्ष एवं न्यास कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से की जाएगी।” बिहार अपराध पीड़ित कल्याण न्यास नियमावली, 2013 के प्रावधान के अनुसार खाता से किसी प्रकार के लेन—देन में प्रधान सचिव/सचिव—सह—व्यवस्थापक, न्यास एवं बंदी कल्याण पदाधिकारी—सह—न्यास कोषाध्यक्ष का संयुक्त हस्ताक्षर अनिवार्य है। न्यास की राशि के लेन—देन के संबंध में निदेशक, प्रोबेशनचर्या की कोई भूमिका नहीं है। न्यास के वित्तीय लेन—देन से संबंधित प्रस्ताव पर प्रधान सचिव/सचिव—सह—व्यवस्थापक न्यास का अनुमोदन एवं पत्र पर हस्ताक्षर अनिवार्य है, किन्तु आरोपित पदाधिकारी श्री राजीव कुमार द्वारा स्वयं के स्तर से हस्ताक्षर कर पत्र बैंक को प्रेषित किया गया है। इस प्रकार आरोपित पदाधिकारी श्री राजीव कुमार का यह कृत्य उनकी गंभीर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता तथा वित्तीय अनियमितता का द्योतक है।

इस प्रकार आरोपित पदाधिकारी श्री राजीव कुमार, तत्कालीन बंदी कल्याण पदाधिकारी, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना द्वारा अपराध पीड़ित कल्याण न्यास के बचत खाता संख्या—32636163692 का अवैध तरीके से संचालन करने, नियमों की अनदेखी कर स्वयं के स्तर से हस्ताक्षरित पत्र निर्गत कराकर बैंक से गलत तरीके से अपराध पीड़ित कल्याण न्यास के कुल राशि रु0 16,09,75,564/- (सोलह करोड़, नौ लाख, पचहत्तर हजार, पाँच सौ चौसठ) रुपये को MOD Accounts से बचत खाता में स्थानान्तरित करने, करीब 11 माह के पश्चात् एकमुश्त राशि रु0 22,22,20,000/- (बाईस करोड़, बाईस लाख, बीस हजार) रुपये को बचत खाता से पुनः MOD Accounts में स्थानांतरित करने, वरीय पदाधिकारी से बिना अनुमोदन प्राप्त किये स्वेच्छा एवं अवैध तरीके से नियम विरुद्ध किये गये कार्य के कारण अपराध पीड़ित कल्याण न्यास से संबंधित खाता के संचालन में वित्तीय अनियमितता, लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता बरती गई है। आरोपित पदाधिकारी का यह कृत्य उनके कार्य के प्रति गंभीर लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता तथा वित्तीय अनियमितता का द्योतक है। अतः आरोपित पदाधिकारी श्री राजीव कुमार का द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब/लिखित अभ्यावेदन स्वीकार करने योग्य नहीं है।

8. अतः वर्णित तथ्यों के आधार पर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री राजीव कुमार, तत्कालीन बंदी कल्याण पदाधिकारी, कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, बिहार, पटना सम्प्रति प्रोबेशन पदाधिकारी, जिला प्रोबेशन कार्यालय, कटिहार के द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब/लिखित अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय—समय पर यथा संशोधित) के नियम—14 (vi) के प्रावधान के तहत उनके विरुद्ध निम्नांकित दण्ड अधिरोपित करने का विनिश्चय किया गया:—

“दो (02) वेतनवृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड”।

9. उपर्युक्त विनिश्चित दण्ड के संदर्भ में विभागीय पत्रांक-6649 दिनांक-08.09.2025 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श की मांग की गयी। तद्आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-4419 दिनांक-05.02.2026 द्वारा दण्ड प्रस्ताव पर सहमति संसूचित की गयी है।

10. प्रस्तावित दण्ड पर बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त सहमति के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री राजीव कुमार, तत्कालीन बंदी कल्याण पदाधिकारी, कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, बिहार, पटना सम्प्रति प्रोबेशन पदाधिकारी, जिला प्रोबेशन कार्यालय, कटिहार के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-14 (vi) के प्रावधान के तहत उनके विरुद्ध निम्नांकित दण्ड अधिरोपित किया जाता है :-

“दो (02) वेतनवृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड”।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजीव जमुआर, अपर सचिव-सह-निदेशक (प्र०)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 50—571+10-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>